NITI Aayog

अनुसूची V क्षेत्रों में विकास के लिए पैसा का महत्व

अविनाश मिश्रा
सलाहकार
एनआरई/जल एवं भूमि संसाधन/
पर्यटन एवं संस्कृति/द्वीप विकास

पांचवीं अनुसूची

NITI Aayog

- किसी राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्र उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है।
- किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड
    - ❖ जनजातीय आबादी की प्रधानता 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए;
    - ❖ क्षेत्र की सघनता और उचित आकार
    - ❖ व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुक और
    - ❖ पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन

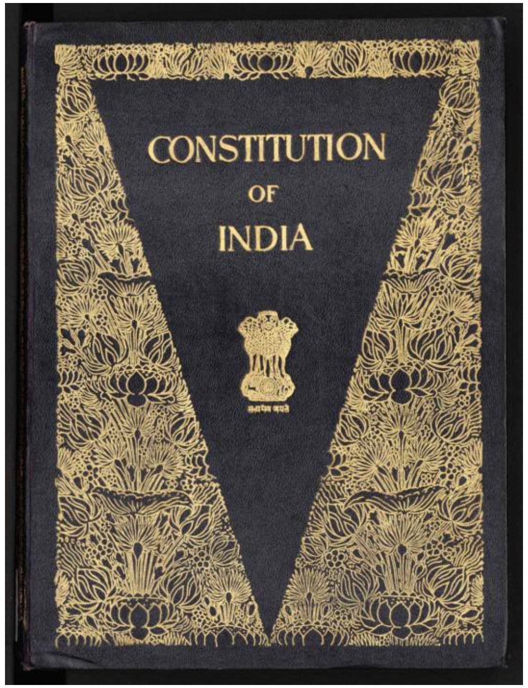

- वर्तमान में, आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं।

अनुसूची क्षेत्रों के सीमांकन का कारण

NITI Aayog

- जमीन, साहूकार, बाजार से जुड़ा शोषण
- **अभाव:** अत्यंत गरीबी, निरक्षरता, कमजोर सामाजिक/भौतिक बुनियादी संरचना
- सरकारी मशीनरी अनुत्तरदायी है
- बड़े पैमाने पर रिक्तियां और अनुपस्थिति: खराब शासन और सेवाएं
- **आजीविका की हानि:** भूमि अलगाव, एमएफपी मुद्दे
- भूमि अधिग्रहण के कारण समुदायों का विस्थापन
- पर्यावरण क्षरण, व्यापक अवैध / अवैज्ञानिक वन कटाई और खनन
- **खंडित योजना और कार्यान्वयन:** योजनाओं की अधिकता का उप-इष्टतम परिणाम

पेसा अधिनियम

NITI Aayog

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) के लिए प्रावधान 1996 में लागू हुए।
- इस अधिनियम को 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश (अब तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के अनुसूचित V क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया था।
- पेसा ग्राम सभाओं को निम्नलिखित अधिकार देता है - परंपरा, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों को संरक्षित करना
- स्कीमों/कार्यक्रमों को अनुमोदित करना, लाभार्थियों की पहचान करना
- गौण खनिजों और वन उपज का नियंत्रण, ऋण देना, स्थानीय बाजार।
- आदिवासी भूमि के अलगाव की रोकथाम, आदि।

प्रभावी पेसा कार्यान्वयन प्राप्त करने के लिए फोकस क्षेत्र

NITI Aayog

- मौजूदा संस्थानों के शासन के मुद्दे और कामकाज और पेसा का कार्यान्वयन
- जनजातीय व्यक्तियों का विस्थापन, भूमि का अधिग्रहण और हस्तांतरण और पेसा, एफआरए और एलएआरआर (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन)
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन
- बेहतर कार्यान्वयन के लिए संगत मंत्रालयों के साथ अभिसरण
- लघु वन उपज (एमएफपी); विपणन और मूल्य श्रृंखला
- आईटीडीए, जनजातीय उप योजना आदि जैसी अन्य संस्थाओं/योजनाओं का कार्यकरण।

पेसा (शिक्षा) को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की पहल

NITI Aayog

- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
- पात्र छात्रों के बैंक खातों में सीधे आवेदन, जांच, अंतिम मंजूरी और संवितरण के लिए एकल खिड़की प्रदान करना
- ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने वाला राष्ट्रीय जनजातीय फैलोशिप पोर्टल (https://fellowship.tribal.gov.in/) का विकास और प्रचालन
- विदेश में उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

NITI Aayog

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए), राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) का एक नया संस्करण है, जिसमें देश में पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं।

संविधान और पेसा अधिनियम की भावना के अनुसार पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना।

- पंचायती राज संस्थानों को अधिक टिकाऊ लक्ष्यों को साकार करने और विकास के समग्र विकास को गति देने में मदद करना
- ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों और पंचायत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यशालाओं की व्यवस्था करना
- ई-शासन समर्थन संरचनाएं

स्वामित्व योजना

NITI Aayog

समावेशी समाज

'गांवों में कमजोर आबादी के सामाजिक-आर्थिक मानकों में सुधार' के साथ 'संपत्ति के अधिकारों तक पहुंच'

भूमि शासन

सीमांकित आबादी क्षेत्र की आवश्यकता को संबोधित करना

संपोषणीय पर्यावास

निधियों के कुशल आवंटन और पहुंच के माध्यम से बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मानचित्र

आर्थिक विकास

राज्यों में संपत्ति कर को सुव्यवस्थित करने के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

पेसा (स्वास्थ्य) को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की पहल

NITI Aayog

- मंत्रालय द्वारा जनजातीय जिलों सहित 256 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (एचपीडी) की पहचान की गई थी।
- उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए क्रमश 5000, 30000 और 1,20,000 के जनसंख्या मानदण्डों की तुलना में जनजातीय और मरूस्थलीय क्षेत्रों में यह संख्या 3000, 20000 और 800000 है।
- पर्वतीय और मरूस्थलीय क्षेत्रों के चुनिंदा जिलों के लिए बसावट से 30 मिनट के भीतर देखभाल के समय पर आधारित उप-केन्द्र स्थापित करने का नया मानदण्ड अपनाया गया है।
- डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को प्रोत्साहन
- एनएचएम- जनजातियों के लिए सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और मानव संसाधन भर्ती-प्रतिधारण नीति

जनजातीय आबादी के लिए आजीविका पहल

NITI Aayog

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और मूल्य श्रृंखला का विकास न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके संग्राहकों को एमएफपी के लिए उचित मौद्रिक रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना

- इस स्कीम के अंतर्गत राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी) और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) को सहायता अनुदान जारी किया जाता है।

- यह स्कीम 12 एमएफपी के लिए आठ राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है; तेंदू, बांस, महुवा के बीज, साल के पत्ते, साल के बीज, लाख, चिरौंजी, जंगली शहद, मायरोबलन, इमली, मसूड़े (गोंद करया) और करंज।

धन्यवाद